न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

निसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
47/2019/प्रा.पत्र/2019	15.07.2019	05.09.2019

नदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1– श्री बाबूलाल साहू पुत्र मगनलाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी गढ की गली वार्ड नं.5 लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक
2– मैसर्स साहू रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गुर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी स्वंय उपस्थित

:–निर्णय–:

दिनांक 05.09.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.04.2019 को समय 3.02 पी.एम पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स साहू रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ की हैसियत से श्री बाबूलाल साहू पुत्र मगनलाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी गढ की गली वार्ड नं.5 लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया है।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान मे **नमकीन स्नैक्स लखनोट शाही मिक्स ऑल इन वन ब्राण्ड (Namkeen Snacks Lakhnot Shahi Mix all in one Brand)** जिसके बेच नं. अप्रेल/0003 व पैकिंग की दिनांक 19.04.2019 थी,रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री बाबूलाल साहू को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता बाबूलाल साहू एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे रखे **नमकीन स्नैक्स लखनोट शाही मिक्स ऑल इन वन ब्राण्ड (Namkeen Snacks Lakhnot Shahi Mix all in one Brand)** 400–400– ग्राम के 8 नग मे से 4 नग मूल पैक 400–400 ग्राम को ज्यो का त्यो वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री बाबूलाल साहू को रू

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

कार्यालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

144/—अक्षरे एक सौ चवालीस रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **नमकीन स्नैक्स लखनोट शाही मिक्स ऑल इन वन ब्राण्ड (Namkeen Snacks Lakhnot Shahi Mix all in one Brand)** 400—400 ग्राम के 4 नग को ज्यो का त्यो 4 भाग तैयार कर और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं क्रमांक I—2187 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग—अलग ख़ांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I—2187 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येंक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. बाबूलाल साहू के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./19/1384 दिनांक 17.06.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाध सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/1171/एक्ट/2019/573 दिनांक 16.05.2019 अनुसार बाबूलाल साहू से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **नमकीन स्नैक्स लखनोट शाही मिक्स ऑल इन वन ब्राण्ड (Namkeen Snacks Lakhnot Shahi Mix all in one Brand)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **मिथ्याछाप** (Mis-branded) का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का **नमकीन स्नैक्स लखनोट शाही मिक्स ऑल इन वन ब्राण्ड (Namkeen Snacks Lakhnot Shahi Mix all in one Brand)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन स्नैक्स लखनोट शाही मिक्स ऑल इन वन ब्राण्ड (Namkeen Snacks Lakhnot Shahi Mix all in one Brand)** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन स्नैक्स लखनोट शाही मिक्स ऑल इन वन ब्राण्ड (Namkeen Snacks Lakhnot Shahi Mix all in one Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-branded) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 अप्रार्थी श्री बाबूलाल साहू पुत्र मगनलाल साहू एफ.बी.ओ. मैसर्स साहू रेस्टोरेन्ट बस स्टैण्ड लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी गढ की गली वार्ड

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

963

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

नं.5 लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 5,000 (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 05.09.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner